राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.23(4)न्याय/15 जयपुर, दिनांक 9 MAR 2016

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत निम्नलिखित उप विधि परामर्शी को राजस्थान विधि सेवा संवर्ग में संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतनमान पे बैण्ड–3 15600–39100 ग्रेड पे–21 8200 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा आवश्यक अस्थाई तौर पर (तदर्थ आधार पर) पदोन्नत किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम
1.	श्री लोकेश कुमार तिवाड़ी
2.	श्री समरथ मल साहू
3.	श्री इन्द्र प्रकाश जैन
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
5.	श्री मुरलीधर भारद्वाज

उपरोक्त पदोन्नति कार्मिक विभाग की आई.डी. संख्या 1437/A–2/15 दिनांक 04.12.2015 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है:–

1. यह पदोन्नति पूर्णतया आवश्यक अस्थाई आधार पर अग्रिम आदेश होने तक बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये, दी जा रही है।
2. जिस पद पर पदोन्नति दी जा रही है, उस पद से कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
3. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
6. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति केवल नियमित पदोन्नति से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
7. इन आवश्यक अस्थाई पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा।
8. उपरोक्त अधिकारियों को अनुभव में छूट देते हुए तदर्थ पदोन्नति दिये जाने के कारण केवल ग्रेड पे का अन्तर ही देय होगा।

आज्ञा से

09/03/16

(प्रमोद कुमार मलिक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. सहायक शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग
4. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संबंधित अधिकारी/संबंधित विभाग
6. रक्षित पत्रावली।
7. प्रोग्रामर, विधि

09/03/16

संयुक्त शासन सचिव